

जम्मू-कश्मीर की एसटी सूची में पहाड़ी जनजाति

प्रलिस के लयः

अनुसूचतऱ जनजातऱ, अनुसूचतऱ जनजातऱ के लयऱ ऱषटऱरऱय आऱयऱग, TRIFED, जनजातऱय वदऱयालयऱ का डजऱटऱल रूपांतरण

मेन्स के लयः

अनुसूचतऱ जातऱ और जनजातऱ से संबंघतऱ मुददे

चरुु में कऱयऱं?

"पहाडऱी जातऱय सडुह" को अब [ऱषटऱरऱय अनुसूचतऱ जनजातऱ आऱयऱग \(NCST\)](#) दऱवारा केंदरशासतऱ ऱरदेश जडडू और कश्डऱर की [अनुसूचतऱ जनजातऱ \(ST\)](#) सूची में शाडलऱ करने के लयऱ डंजूरी दे दी गई है ।

- आऱयऱग ने "डददारी जनजातऱ", "कोली" और "गडुडा डुराहडण" सडुदायऱं को जडडू-कश्डऱर की एसटी सूची में शाडलऱ करने का डी आहऱवऱन कऱया ।
- वर्तडडऱन में जडडू और कश्डऱर में 12 ऐसे सडुदाय हैं जऱनऱहें अनुसूचतऱ जनजातऱ के रूड में अधसूचतऱ कऱया गया है ।

कसऱी सडुदाय को अनुसूचतऱ जनजातऱयऱं की सूची में शाडलऱ करने की ऱरकरऱयाः

- जनजातऱयऱं को ST की सूची में शाडलऱ करने की ऱरकरऱया संबंघतऱ ऱरज्य सरकारऱं की सडऱरऱशऱ से शुरु हुऱती है, जसऱ डऱद में जनजातऱय डडडऱलऱं के डंतुरालय को डेजा जातऱ है, जो सडुडऱकषा करतऱ है और अनुडडऱदन के लयऱ डरऱत के डहाडंजीयक को इसे ऱरषतऱ करतऱ है ।
- इऱसके डऱद अंतडडऱ नरऱणय के लयऱ केंडनऱट को सूची डेजे जाने से ऱरहले ऱरषटऱरऱय अनुसूचतऱ जनजातऱ आऱयऱग का अनुडडऱदन आवशुडक है ।
- इऱसका अंतडडऱ नरऱणय अनुचुडेद 342 में नहऱतऱ शकतऱयऱं के तहत ऱरषटुरडतऱ दऱवऱरा कऱया जातऱ है ।
- कसऱी डी सडुदाय को अनुसूचतऱ जनजातऱ में शाडलऱ करऱना तडुडी ऱरडडऱवी हुऱतऱ है जब ऱरषटुरडतऱसऱंवधऱन (अनुसूचतऱ जनजातऱ) आदेश, 1950 में संशऱधन करने वऱले वधऱयक को लऱकसडडऱ और ऱरज्यसडडऱ डऱनऱं दऱवऱरा ऱररतऱ कऱये जाने के डऱद, अडडऱी सडडतऱ दऱतऱ है ।

ST सूची में शाडलऱ हुऱने के डऱयदेः

- यह कदड अनुसूचतऱ जनजातऱयऱं की संशऱधतऱ सूची में नए सूचीडदध सडुदायऱं के सदसुडऱं को सरकार की डडुजूदा डऱजनाऱं के तहत लऱड ऱरऱडतऱ करने में सकषड डनऱएगा ।
- कुुछ ऱरडुख लऱडडऱं में डऱसुट-डैटुरकऱ छऱतुरवृतुतऱ, वदऱशी छऱतुरवृतुतऱ और ऱरषटऱरऱय डेलऱशऱडऱ, शकऱषा के अलऱवा ऱरषटऱरऱय अनुसूचतऱ जनजातऱ वतऱतऱ और वकऱस नऱगड से रऱडऱयतऱ ःण तथा छऱतुरऱं के लयऱ छऱतुरऱवऱस शाडलऱ हैं ।
- इऱसके अलऱवा वे सरकारी नऱतऱ के अनुसार सेवऱऱं में आरकषण और शैकषणकऱ संसुथऱनऱं में ऱरवेश डऱने के डी हकदऱर हुऱंगे ।

डरऱत में जनजातऱयऱं से संबंघतऱ संवैधऱनकऱ ऱरऱवधऱन और ऱरहलः

- संवैधऱनकऱ ऱरऱवधऱनः
 - वरुष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचतऱ जनजातऱयऱं को "डहषऱकृत" और "आंशकऱ रूड से डहषऱकृत" कषेतुरऱं में रहने वऱली "डछऱडुडी जनजातऱ" कऱहा जातऱ है । वरुष 1935 के डरऱत सरकार अधनऱडडडऱन डऱ पहली डऱर ऱरऱंतऱय वधऱनसडडऱऱं में "डछऱडुडी जनजातऱयऱं" के ऱरतऱनऱधऱयऱं को शाडलऱ करने हेतु ऱरऱवधऱन कऱया ।
 - संवैधऱन अनुसूचतऱ जनजातऱयऱं की डऱनुडडऱता के डऱनदंडऱं को ऱरडडऱषतऱ नऱही करतऱ है, इऱसलऱये वरुष 1931 की जनगणना में नहऱतऱ ऱरडडऱषऱ का डडडऱयऱग सुवतुतरतऱ के डऱद के ऱरऱरंडडऱकऱ वरुषऱं में कऱया गया थऱ ।
 - हऱलऱंकऱ संवैधऱन का अनुचुडेद 366 (25) केवल अनुसूचतऱ जनजातऱयऱं को ऱरडडऱषतऱ करने के लयऱ ऱरकरऱया ऱरदऱन करतऱ हैः "अनुसूचतऱ जनजातऱयऱं का अरुथ ऐसेऱ जनजातऱयऱं डऱ जनजातऱयऱं सडुदायऱं डऱ जनजातऱयऱं डऱ जनजातऱयऱं सडुदायऱं के कुुछ हसऱसुऱं डऱ सडुडुऱं से है जऱनऱहें संवैधऱन के अनुचुडेद 342 के तहत अनुसूचतऱ जनजातऱ डडऱनऱ जातऱ है ।

- **342 (1): राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में,** जबकि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिससे या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नरिदषिट कर सकता है।
- **संवधान की पाँचवीं अनुसूची में** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नरियंत्रण से संबंधित प्रावधान है।
- **छठी अनुसूची** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- **कानूनी प्रावधान:**
 - असपृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
 - [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार निवारण\) अधिनियम, 1989](#)
 - [पंचायतों के प्रावधान \(अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार\) अधिनियम, 1996](#)
 - [अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधिनियम, 2006](#)

अनुसूचित जनजातियों के लिये सरकार की पहल:

- [ट्राइफेड](#)
- [जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन](#)
- [वशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास](#)
- [प्रधानमंत्री वन धन योजना](#)
- **संबंधित समितियाँ:**
 - [शाशा समिति \(2013\)](#)
 - भूरिया आयोग (2002-2004)
 - लोकुर समिति (1965)

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. यद किसी वशेष क्षेत्र को भारत के संवधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है, तो नमिनलखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम को सर्वोत्तम तरीके से प्रतबिबित करता है? (2022)

- इससे जनजातियों की भूमि गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरित होने से रोका जा सकेगा।
- यह उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय गठित करेगा।
- यह उस क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश में बदल देगा।
- ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को वशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के संवधान की कसि अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमिके खनन के लिये नजिी पक्षकारों के अंतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है?

- तीसरी अनुसूची
- पाँचवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- बारहवीं अनुसूची

उत्तर: (b)

प्रश्न. सवतंत्रता के बाद से अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रतभिदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो मुख्य वधिक पहलें क्या हैं? (मेन्स-2017)

स्रोत: द हट्टि